

न्याय आपके द्वार 2017

डिक्री व मुकदमें इन्वार्ड  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

सुन्दर वगै० बनाम सायरी वगै०

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 92/16  
पेश करने की दिनांक - 27.5.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरू सुश्री श्वेता कोचर (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई मनोज यादव, नरेन्द्र सिंह राठौड अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम दिलवाडी के हाल ख०न० 1291/1 (0.0650) का खातेदार सायरी/मादू, रामलाल, प्रेम, सीता/मादू को, ख०न० 284 (0.1150) का खातेदार सूजा/काना को ख०न० 284/1 (0.1150) का खातेदार रंगलाल/काना को ख०न० 1681 (0.08) का खातेदार हरलाल, गोपाल/काना को, ख०न० 1291 (0.0650) सुन्दर/जोरा, अमरचन्द/जोरा राहिन आई.सी.आई.सी.आई बैंक को, ख०न० 1308 (0.14), 1681/1 (0.08) का खातेदार नारायण, रामदेव, शोपाल/चतरा, कमला,छोटी, सुवा/चतरा को ख०न० 1606 (0.04) का खातेदार हरलाल/काना को, ख०न० 1603 (0.02) का खातेदार नारायण/चतरा को घोषित किया जाता है। वादी सुन्दर/जोरा, अमरचन्द/जोरा द्वारा बैंक रहन मुक्त कराने के उपरान्त तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।



  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक ————— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे

वअख्त दरतखत व मोहर अदालत के आज 1 माह 6 सन् 2017 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा  
स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प वजह सबूत  
मेहनताना वकील  
फीस कमिश्नर  
खर्चा गवाहान  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा  
स्टाम्प अरजी  
मेहनताना वकील  
खर्चा गवाहान  
फीस कमिश्नर  
बाबत् इजराय हुक्मनामा  
मुतफरिक

मिजान

मिजान

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद